न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 683 सन 2022

अनवान :–

1. यासीन पुत्र नवाब जाति कुम्हार साकिन फेफाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. अब्दुला पुत्र नवाब जाति कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. इलाहीबक्श पुत्र नवाब जाति कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. नाजम अली पुत्र नवाब जाति कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. मकबुल पुत्र नवाब जाति कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 19/09/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 19/19 की कुल 5.5660हैक भूमि में से रूकसाई का 1855/11132 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रूकसाई उर्फ कसनाई पत्नि नवाबदीन के नाम से दर्ज है जो वादी एव प्रतिवादी 1 ता 4 की माता है वादी की माता रूकसाई के नाम दर्ज भूमि पूर्व में वादी के पिता नवाबदीन के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि उनके वारिसान उनके पुत्र एव पत्नी रूकसाई उर्फ कसनाई के नाम से दर्ज हुई है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की माता रूकसाई उर्फ कसनाई पत्नी नवाबदीन का देहान्त हो चुका है रूकसाई उर्फ कसनाई पत्नी नवाबदीन के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो रूकसाई उर्फ कसनाई के नाम से दर्ज भूमि के हकदार है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 रूकसाई उर्फ कसनाई के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की रूकसाई उर्फ कसनाई पत्नी नवाबदीन जो वादी की माता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता नवाबदीन के नाम से दर्ज थी वादी के पिता नवाबदीन के देहान्त होने पर उनके जाजय वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एव पत्नी रूकसाई उर्फ कसनाई पत्नी नवाबदीन के नाम से दर्ज हुई थी वर्तमान नवाबदीन की पत्नी रूकसाई उर्फ कसनाई का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो रूकसाई उर्फ कसनाई पत्नी नवाबदीन के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार को ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 19/19 की कुल 5.5660हैक भूमि में से रूकसाई का 1855/11132 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रूकसाई उर्फ कसनाई पत्नि नवाबदीन के नाम से दर्ज है जो वादी एव प्रतिवादी 1 ता 4 की माता है वादी की माता रूकसाई के नाम दर्ज भूमि पूर्व में वादी के पिता नवाबदीन के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि उनके वारिसान उनके पुत्र एव पत्नी रूकसाई उर्फ कसनाई के नाम से दर्ज हुई है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की माता रूकसाई उर्फ कसनाई पत्नी नवाबदीन का देहान्त हो चुका है रूकसाई उर्फ कसनाई पत्नी नवाबदीन के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो रूकसाई उर्फ कसनाई के नाम से दर्ज भूमि के हकदार है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 रूकसाई उर्फ कसनाई के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 19/19 की कुल 5.5660हैक भूमि में से रूकसाई का 1855/11132 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज नवाबदीन के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि उनके वारिसान पुत्र वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एव पत्नी रूकसाई उर्फ कसनाई पत्नी नवाबदीन के नाम दर्ज हुई है वादी के कथनो को प्रतिवीद संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि विरास्तन से वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एव उनकी मात रूकसाई उर्फ कसनाई पत्नी नवाबदीन के नाम से दर्ज हुई है।

वादी का कथन है कि वादी की माता रूकसाई उर्फ कसनाई पत्नी नवाबदीन का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो अपने माता रूकसाई उर्फ कसनाई पत्नी नवाबदीन के नाम से दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उनकी माता के नाम दर्ज भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल जबाब व रूकसाई उर्फ कसनाई पत्नी नवाबदीन का मृत्यू प्रमाण पत्र पेश किया ।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 19/19 की कुल 5.5660हैक भूमि में से कसनाई का 1855/11132 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है मृतक कसनाई पत्नी नवाबदीन का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को वहिव का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19/09/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. यासीन पुत्र नवाब जाति कुम्हार साकिन फेफाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 अब्दुला पुत्र नवाब जाति कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. इलाहीबक्श पुत्र नवाब जाति कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. नाजम अली पुत्र नवाब जाति कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. मकबुल पुत्र नवाब जाति कुम्हार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 683 सन 2022 निर्णय दिनांक– 19/09/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही नौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 19/19 की कुल 5.5660हैक भूमि में से कस्तनाई का 1855/11132 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है मृतक कसनाई पत्नी नवाबदीन का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/09/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner